भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4943

<u>दिनांक 1 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

हीट–नॉट–बर्न तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध

4943. श्री तंगेला उदय श्रीनिवासः
श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या सरकार वैश्विक विनियामक प्रवृत्तियों के मद्देनजर हीट–नॉट–बर्न तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबंध की समीक्षा करने पर विचार कर रही हैः

(ख) क्या भारत में एचएनबी उत्पादों के संभावित विनियमन और नियंत्रित बिक्री के संबंध में उद्योग हितधारकों, अंतर्राष्ट्रीय विनियामक निकायों या स्वास्थ्य विशेषज्ञों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एचएनबी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने बनाम उनकी विनियमित बिक्री की अनुमति देने के आर्थिक और व्यापारिक प्रभाव के संबंध में कोई तुलनात्मक अध्ययन कराया है अथवा कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) क्या एचएनबी उत्पादों पर प्रतिबंध के कारण अवैध आयात और अनियमित बिक्री में वृद्धि हुई है, और यदिं हां, तो समस्या का अनुमानित स्तर क्या है और इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार एचएनबी उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध के बजाय नियंत्रित विनियमन के लिए रूपरेखा पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, भारत सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा, विशेषतः तंबाकू के सेवन से होने वाली हानि से सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 (पीईसीए 2019) इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और इसी तरह के उत्पादों, जिनमें हीट–नॉट–बर्न (एचएनबी) तंबाकू उत्पाद शामिल हैं, के निर्माण, बिक्री और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया गया है।

*****